उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड– 249404

संख्या :: 315 /17/E-2/सं0र0अ0अधी0से0 / 2019–20 दिनाँक :: 04 मार्च, 2022

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021

(Combined State (Civil) Lower Subordinate Service (Main) Examination- 2021

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–A-2/E-2/Lower Subordinate Service/ 2021, दिनाँक 09 अगस्त, 2021 एवं तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या– 249 / 17 / ई–02 / सं0रा0अ0अधि0से0 / 2019–20, दिनांक 14 जनवरी, 2022 के सापेक्ष दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, विज्ञप्ति संख्या– 79 / 20 / गोपन–02 / अ0अधी0 / (प्रा0)–2021 / 2021–22, दिनांक 24 फरवरी, 2022 द्वारा घोषित किया गया है।

02. उक्त परीक्षा परिणाम में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र (हल्द्वानी अथवा हरिद्वार) का चयन करने एवं पदों की वरीयता सूची (Preference Sheet) भरे जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन का लिंक आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर **दिनांक 05 मार्च, 2022 से खोला** जा रहा है।

03. अभ्यर्थियों द्वारा उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र चुनने व पदों की वरीयता सूची (Preference Sheet) भरने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन–पत्र (जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो) तथा अभिलेखों की चैकलिस्ट आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड करते हुए समस्त शैक्षणिक, आरक्षण इत्यादि अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग कार्यालय में जमा किया जाना है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम **"सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021"** अवश्य अंकित करें।

उक्तानुसार समस्त अभिलेख **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा, आयोग, हरिद्वार–249404** के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा किये जाने की अन्तिम तिथि **25 मार्च, 2022 (शुक्रवार) (सायं 06:00 बजे तक)** निर्धारित की गयी है। उक्तांकित निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र / अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को उपरोक्त के सम्बन्ध में डाक द्वारा पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी समस्त अभिलेख / प्रमाण–पत्र सावधानीपूर्वक भली–भांति चैक करने के पश्चात ही आयोग को प्रेषित करें तथा किसी भी दशा में अपूर्ण व अस्पष्ट अभिलेख प्रेषित न करें।

04. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021 का आयोजन **दिनांक 28 अगस्त, 2022 को हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर** में किया जाएगा।

-Sd-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

अनुक्रमांक :

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021 हेतु शैक्षणिक, आरक्षण आदि अभिलेखों की चैकलिस्ट

क्र0सं0	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓करें)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति	
2.	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति।	
3.	स्नातक उपाधि की प्रति।	
4.	स्नातक अंतिम वर्ष/ अंतिम सेमस्टर की अंक तालिका	
5.	अधिमानी अर्हता–	
	(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो।	
	(ख) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।	
	(ग) नेशनल कैडेट कोर का ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।	
	(घ) कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक पद हेतु)	
	(च) विधि स्नातक की उपाधि (खाण्डसारी निरीक्षक पद हेतु)	
6.	SC/ST/OBC/EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	
7.	पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) कि पूर्व में पूर्व–सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुये हैं। (यदि लागू हो)।	
8.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	
9.	अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
10.	दिव्यांगों हेतु विकलांगता प्रमाण–पत्र, जिसमें OL/OA/PB/PD का स्पष्ट उल्लेख हो। (यदि लागू हो)	
11.	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
12.	सीने की माप में छूट के दावे हेतु पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) (उप कारापाल एवं आबकारी निरीक्षक पद हेतु)।	
13.	न्यूनतम ऊंचाई के मानक में छूट के दावे हेतु प्रमाण–पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट–4 पर (यदि लागू हो) (उप कारापाल एवं आबकारी निरीक्षक पद हेतु)।	

14.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र या सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)।	
15.	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा। (आयोग के निर्धारित प्रारूप पर)	
16.	विज्ञापन के बिन्दु सं0–4 (ii) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण–पत्र, जिसका ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दावा किया गया हो, से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–	
(i)	Registration in any District Employment Office located in Uttarakhand State. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सेवायोजन विभाग द्वारा जारी सेवायोजन प्रमाण–पत्र)	
(ii)	Are you employed? (उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवा हेतु सेवायोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र)	
(iii)	Have you passed your High School and Intermediate or any other equivalent Exams from any recognized Institution situated in the State of Uttarakhand. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थिति संस्था से धारित हाईस्कूल एवं इण्टर प्रमाण–पत्र)	
(iv)	Are you or your spouse or your parents regular employee of the armed forces/para military forces OR State Goverment/semi Government Organization OR Central Government Oraganization/ Central Government Public Service Undertaking serving in the State of Uttarakhand and whose Services cannot be transferred outside the State of Uttarakhand. (सेवायोजक से इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है।)	
(v)	Are you OR your spouse/parents permanent resident of Uttarakhand, but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes. (उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र)	

* यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित औपबन्धिक प्रमाण–पत्र/उपाधि (**Provisional Certificate Degree**) प्रस्तुत की गयी हो, तो ऐसी उपाधि उसमें उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जायेगा। यदि वैधता की अवधि अंकित नहीं है, तो प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जायेगा।

** अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।

*** लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिवास संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ओ0बी0सी0(**OBC**) प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 03 वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर निर्गत होना चाहिए। **EWS** प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।

(अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर)